

200 दिव्यांग छात्रों को दस हजार तक की सहायता, तीन छात्रों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे

डीएवीसी के छात्र कल्याण विभाग ने दुर्घटना और दिव्यांग सहायता के ज्यादातर आवेदनों को दी मंजूरी

भारत संवाददाता

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण विभाग ने बुधवार को दुर्घटना और विकलांग-दिव्यांग सहायता के सभी आवेदनों पर चर्चा कर ज्यादातर को मंजूरी दे दी। आर्थिक सहायता कमेटी की बैठक में तमाम बिंदुओं पर विचार करने के बाद 95 फीसदी से ज्यादा मामलों में राशि तत्काल जारी करने का निर्णय लिया गया।

सबसे अहम यह रहा कि विकलांग-दिव्यांगों को दी जाने वाली सहायता के लिए 206 आवेदन आए थे, उनमें से 200 को मंजूरी मिली। 50 फीसदी तक विकलांगता

वाले छात्रों को साढ़े सात हजार रुपए तथा उससे ज्यादा विकलांगता पर दस हजार रुपए की मदद मंजूर की गई। बैठक में अन्य छात्रों को भी अधिकतम 50 हजार रुपए तक की सहायता मंजूर की गई। जिन छात्रों के पास जिला अस्पताल का विकलांगता प्रमाण पत्र था, उन्हें ही सहायता मंजूर की गई। अलग-अलग दुर्घटना में घायल हुए तीन छात्रों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता मंजूर की गई।

बैठक में कमेटी के चेयरमैन डॉ. आशुतोष मिश्रा, छात्र कल्याण डीन डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, डॉ. प्रतिभा शर्मा और डॉ. रेखा आचार्य सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

5 छात्रों की मृत्यु, पेंसेंट्स को दिए 25-25 हजार रुपए

ऐसे पांच छात्र जिनकी सालभर में अलग-अलग जगह से मृत्यु हुई। उनके अभिभावकों को भी आर्थिक सहायता मंजूर की गई। ऐसे छात्रों के अभिभावकों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा 26 आवेदन ऐसे आए थे, जिनके माता-पिता नहीं हैं। ऐसे छात्रों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई। एक छात्र को आवेदन निरस्त किया गया।

बैठक में लंबी चर्चा के बाद ज्यादातर प्रकरण मंजूर

छात्र कल्याण विभाग के जरिये हर साल छात्रों को अलग-अलग प्रकरण में आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है। बुधवार को हुई बैठक में कमेटी ने ज्यादातर प्रकरणों में सहायता मंजूर कर दी। अलग-अलग तरह के मामलों में जो राशि तय है, वह पूरी मंजूर की गई है।

- डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, डीन, छात्र कल्याण संकाय

यूनिवर्सिटी 11 विभागों के 34 कोर्स के लिए कराएगी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट

जून में होगी परीक्षा, पांच ग्रुप बनाए, एनटीए से चर्चा, एमपी ऑनलाइन भी विकल्प

भारत संवाददाता | इंदौर

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) जून के पहले सप्ताह में होगा। परीक्षा इस बार 11 विभागों के 34 कोर्स के लिए होगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी की सीईटी कमेटी की बुधवार को बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि 34 कोर्स के लिए पांच ग्रुप बनाए जाएंगे। पीजी कोर्स के लिए ए और ड ग्रुप रहेगा, जबकि यूजी कोर्स के लिए बी, सी और डी ग्रुप बनाए गए हैं।

ग्रुप ए में 18 कोर्स शामिल किए गए हैं, जबकि ग्रुप बी में 8 और ग्रुप सी में 4 कोर्स रहेंगे। इसके साथ ही ग्रुप डी में 2 और ग्रुप ई में भी 2 कोर्स रहेंगे। बैठक में एजामा पैटर्न पर भी चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि अभी तक जिस पैटर्न पर परीक्षा होती आई है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। कुछ तकनीकी बिंदुओं को सुधार कर जल्द नया पैटर्न तय कर लिया जाएगा।

फरवरी के अंत तक लिया जाएगा अंतिम निर्णय

परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से ही कराने पर जोर रहेगा। अंतिम दौर की बातचीत चल भी रही है, अगर किसी कारण से सहमति नहीं बन पाती है तो एमपी ऑनलाइन के जरिये परीक्षा होगी। बैठक में तय किया गया कि फरवरी के अंत तक इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाए, ताकि परीक्षा की तारीख और बाकी बिंदुओं पर चर्चा हो सके। यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी डॉ. चंदन गुप्ता के अनुसार परीक्षा जून के पहले सप्ताह के रविवार को प्रस्तावित है। हालांकि अगर एनटीए रविवार के अलावा किसी और दिन परीक्षा कराना चाहेगा तो उस पर भी सहमति दे दी जाएगी।

पिछली बार 21 विभागों के लिए हुई थी

पिछले साल सीईटी 21 विभागों के 60 कोर्स के लिए हुई थी। इस बार 10 विभाग कम हो गए। 2014 के पहले तक जिन 8 विभागों के लिए सीईटी होती थी, वह पूरे तो शामिल रहेंगे ही तीन अन्य विभागों के भी कुछ कोर्स शामिल करेंगे। 11 में से 8 प्रमुख विभाग तय हो गए हैं। उनमें आईएमएस, स्कूल ऑफ लॉ, आईआईपीएस, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फार्मेसी, ईएमआरसी और एसजेएमसी शामिल हैं। इसके अलावा सोशल साइंस, स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस व एक अन्य विभाग के भी कुछ कोर्स शामिल हैं।

समय पर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर

यूनिवर्सिटी की तैयारी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा के मूल्यांकन तक की समय-सीमा अभी से तय कर ली जाए, ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके लिए बाकायदा आगे कुछ दिन में तारीख बार पूरा प्रोग्राम तय कर लिया जाएगा।

सेनरल कायम
देवी अहिल्या विश्व विद्यालय
सहायता परीक्षा कायदा योग्य इत्यादि